न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी डेगाना(नागौर)

बइजलास श्री रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 77/2011 एवं 114/2012,
अन्तर्गत धारा क्रमश : 53, 188 आर टी एक्ट व 53 आर टी एक्ट 1955

अनुवान :– राजस्व वाद सं. 11/2011

वादी –

1. उकारसिंह उर्फ पपूसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी गुणसली

बनाम

प्रतिवादी :–

1. भैंरूसिंह पुत्र नाथू सिंह के कायम मुकाम
   1/1. भगवान सिंह पुत्र स्व. भैंरूसिंह
   1/2. सलाब कंवर पत्नि स्व. भैंरूसिंह
   1/3. भंवर कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   1/4. धापू कंवर उर्फ प्रकाश कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   1/5. चांद कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण गुणसली तहसील डेगाना (नागौर)
2. तहसीलदार डेगाना।
3. उपपंजीयक डेगाना/सांजू।
4. पटवारी हल्का गुणसली

अनुवान :– राजस्व वाद सं. 114/2012

वादी :–

1. भैंरूसिंह पुत्र नाथू सिंह के कायम मुकाम
   1/1. भगवान सिंह पुत्र स्व. भैंरूसिंह
   1/2. सलाब कंवर पत्नि स्व. भैंरूसिंह
   1/3. भंवर कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   1/4. धापू कंवर उर्फ प्रकाश कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   1/5. चांद कंवर पुत्री स्व. भैंरूसिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण गुणसली तहसील डेगाना (नागौर)

बनाम

प्रतिवादी :–

1. उकारसिंह उर्फ पपूसिंह पुत्र देवीसिंह
2. जसवन्त सिंह पुत्र मंग सिंह
   जातियान राजपूत निवासीगण गुणसली तहसील डेगाना।
3. तहसीलदार डेगाना।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

:- निर्णय :-

दिनांक :- 11-05-2017

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सारांश इस प्रकार है ग्राम गुणसली तह. डेगाना की राजस्व सीमा में जमीन खेत खसरा नं. 9 रकबा 28.04 बीघा, खसरा नं. 15 रकबा 15.14 बीघा, खसरा नं. 116 रकबा 73.08 बीघा, खसरा नं. 159 रकबा 0.17 बीघा व खसरा नं. 163 रकबा 18.08 बीघा कुल जमीन रकबा 136 बीघा 11 बिस्वा वादी व प्रतिवादी नं. 1 की पुश्तेनी उत्तराधिकार में प्राप्त काश्त कब्जा शुदा जमीन स्थित है। खसरा नं. 163 की जमीन में वादी का 6/14 हिस्सा कय सुदा व प्रतिवादी नं. 2 का 1/14 हिस्सा कय सुदा आया हुआ है। व इसी अनुसार काश्त कब्जा मौके पर आया हुआ है। वादी व प्रतिवादी नं. 1 ने इस जमीन का मौके पर आपसी सहमत व प्रतिवादी नं. 1 की माता की सहमति से इस जमीन का बंटवारा कर लिया व बंटवारा का विवरण निम्नानुसार है :-

वादी भैरूसिंह के बंट में खसरा नं 116 रकबा 73. 08 बीघा में से रकबा 57 बीघा 8 बिस्वा जमीन निम्न पड़ोस बीच की बंट में आयी पूर्व में – नानुपुरी गुसाई की जमीन। तथा पश्चिम में– भगवान सिंह वगैरह की जमीन, उत्तर में – सुखाराम जाट की जमीन व दक्षिण में – पप्पूसिंह की जमीन।

खसरा नं. 159 रकबा 0.17 बीघा जमीन में से 1/2 हिस्सा। खसरा नं. 163 रकबा 18.08 बीघा में से रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा जमीन जिसके पाड़ोस उत्तर में – जसवंतसिह की जमीन, दक्षिण में– पप्पूसिंह की जमीन, पूर्व में – हरजी सिंह राजपूत की जमीनप व पश्चित में– सड़क।

प्रतिवादी न. 1 ओकारसिंह उर्फ पप्पूसिंह के बंट में –

खसरा न. 9 रकबा 28.04 बीघा की सम्पूर्ण जमीन। जिसके पड़ोस उतर में– कालूसिह राजपूत की जमीन, व पश्चिम में – भंवरलाल जाट का खेत।

खसरा नं. 15 रकबा 15.14 बीघा जमीन जिस के पड़ोस उतर में प्रभूराम सिंवर की जमीन, दक्षिण में– रेखाराम सिवर की जमीन, पूर्व में– मोहनसिंह राजपूत की जमीन व पश्चित में– रूपदास स्वामी की जमीन।

खसरा नं. 116 रकबा 73.08 बीघा जमीन में से 16 बीघा जमीन बंट में आयी जिसके पड़ोस उतर में – वादी की जमीन। दक्षिण में – हनुमान सिंह, नाहरसिंह की जमीन, पूर्व में – नानपूरी व भवंरलाल की जमीन व पश्चिम में प्रेमसिंह राजपूत की जमीन।

खसरा नं. 159 की जमीन रकबा 17 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा।

प्रतिवादी नं. 2 जसवन्तसिंह के बंट में – खसरा नं. 163 में से रकबा 1/14 हिस्सा की जमीन।

उपरोक्त बंटवारा के अनुसार ही पक्षकारान मौके पर काश्त काबिज है तथा इसी अनुसार सिवे माठे कायम है जो पुरानी है तथा इसी अनुसार जमीन पर काश्त करके, फसल व कुदरती पैदावार प्राप्त करते आ रहे है। उक्त दावा हाजा में बताई गई जमीन ग्राम गुणसली के खसरा नं. 9, 15, 116, 159, 163 का बंटवारा वादी व प्रतिवादी नं 1 ता 2 के बीच में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत् बंटवारा वाद पत्र के फिकरा नं 3 में बताये अनुसार किया जाकर अलग अलग रकबा, खसरा लगान कायम फरमाया जावें।

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प गुणसली के अटल सेवा केंद्र में पेश हुई। पक्षकारान ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर हम राजीनामा उक्त प्रकरण करना चाहते है। हमारा उक्त प्रकरण में पूर्व में ही हमारी सहमति अनुसार बंटवारा किया हुआ है तथा उसी अनुसार हम काश्त काबिज करते आ रहे है। इस संबंध में पटवार हल्का से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावें। पटवारी हल्का गुणसली से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उसी अनुसार उपस्थित पक्षकारानों ने अपनी सहमति जाहिर की। तथा इस संबंध में अटल सेवा केंद्र में उपस्थित मौतबरान से भी पूछा गया जिनकी उन्होंनें पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार पुष्टि की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। व पटवारी मौका रिपोर्ट पर मनन किया गया। व उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी , नकल सम्वत् 2067 से 2070 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुणसली के पुराने खसरा नं. 9, 15, 116, 159, 163 नये खसरा नं. 10, 18, 211, 313, 317 की वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 खातेदार काश्तकार है उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होने से वादी को अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत् बाई

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)।

Scanned by CamScanner

मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाने का हक अधिकार प्राप्त होते है उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार डेगाना को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम गुणसली की खसरा नं0 9, 15, 116, 159, 163 नये खसरा नं. 10, 18, 211, 313, 317 का वादी व प्रतिवादी सं 1 व 2 के मध्य पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार कर न्यायालय में 22.06.2018 से पूर्व पेश करें। अगर भूमि मौके पर बंटी हुई नहीं हो तो सभी खातेदार के मध्य हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि रखकर बंटवारा स्कीम प्रस्तुत करें। एवं प्राथमिक डिकी जारी हो। पटवारी मौका रिपोर्ट निर्णय का भाग होगा।

निर्णय दिनांक आज 11.05.2018 को मजमें आम राजस्व कैम्प अटल सेवा केन्द्र गुणसली में सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना

Scanned by CamScanner